FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0040 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 06/03/2024 20:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 04/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 05/03/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 15:00 बजे **Time To (समय तक):** 14:17 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/03/2024 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 06/03/2024 20:11:03 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 1 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** mandrayal road, karoli

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** jitendra singh

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ram ji lal

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1996 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	gajipur danda, masalpur, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	gajipur danda, masalpur, KARAULI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9649289967

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ram shaay kushwah		पिता:lutteram khuswah	1. megri,masalpur karoli,KARAULI,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		25,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली। विषय पटवार हल्का कंचनपुर डांडा, तहसील मासलपुर के भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाने के सम्बन्ध में, महोदय, निवेदन है कि मै जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति गुर्जर गांव गाजीपुर डांडा तहसील व पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली का रहने वाला हूं और हम 6 भाई है। ग्राम डांडा गाजीपुर के खसरा नम्बर 1520 की पुस्तैनी कृषि भूमि जो मेरे पिता रामजीलाल पुत्र कलुआराम के नाम थी, उसको गांव के चौथी पुत्र रघुनाथ के द्वारा मेरे पिता के नाबालिग होने का फायदा उठाकर सरकारी खाते में जमीन को अपने नाम चढ़वा लिया। जबकि इस जमीन पर हमारा कब्जा चला आ रहा है एवं उस जमीन पर हम ही पैदावार करते आ रहे है, वर्तमान में उस जमीन में सरसो व गेहूं की फसल खड़ी हुई है। इस जमीन का मामला ए.सी.एम. करौली के न्यायालय में चल रहा है। तहसीलदार और पटवारी हमारी जमीन पर खड़ी हुई फसल को हमे बिना नोटिस दिये दूसरी पार्टी से मिलकर नष्ट करना चाह रहे है, जिसके सम्बन्ध में पटवारी श्री रामसहाय पटवार हल्का कंचनपुर ढांडा से मिला तो उसने खड़ी फसल को नष्ट नही करने और फसल हमारे से ही कटवाने के बदले में 1,00,000 रूपये रिश्वत के मांग है और पटवारी बार-बार फोन कर मुझे रूपये देने के लिए मुझे मासलपुर में अपने कमरे पर बुला रहा है। मैं ऐसे रिश्वत खोर पटवारी को रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है और न ही कोई उधार के रूपयो का लेन-देन बकाया है। कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर प्रार्थी- जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल, उम्र 28 वर्ष, जाति गुर्जर गांव गाजीपुर डांडा तहसील व पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली, मोबाईल नं. 9649289967 दिनांक-04/03/2024, हस्ता. जगदीश भारद्वाज पु.नि. ह0 स्वतंत्र गवाह-पंकज शर्मा व राजेश सैनी दिनांक 05.03.2024,

कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 04.03.2024 को जन जागरूकता अभियान में रवानाशुदा अजय कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस को चौकी एसीबी करौली प्रभारी मन जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक के गले की गांठ के ऑपरेशन कराने से अवकाश पर होने के कारण समय करीब 01.19 पीएम पर जरिये मोबाईल फोन ब्यूरो मुख्यालय द्वारा ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बर 1064 पर शिकायत करने वाले श्री जितेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर-9649289967 देकर उससे सम्पर्क करने के निर्देश दिये जाने पर श्री अजय कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा समय करीब 01.28 01.31 पीएम पर अपने मोबाईल नम्बर 9461192506 से परिवादी जितेन्द्र सिंह से उसके मोबाईल नम्बर9649289967 पर सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने अपना नाम जितेन्द्र सिंह बताते हुये एवं ब्यूरो के टोल-फ्री नम्बरी नं.- 1064 पर शिकायत करना बताते हुये बताया कि रामसहाय पटवारी, पटवार हल्का कंचनपुर डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली उससे उसकी खेत में खडी हुये फसल को नष्ट नहीं करने एवं खडी हुई फसल को हमसे ही कटवाने के बदले में 1 लाख रू. रिश्वत की मांग कर रहा है और बार बार फोन कर मासलपुर में ही अपने कमरे पर रूपये लेकर तुरन्त ही बुला रहा है, और अभी मै मासलपुर में ही आया हुआ हूं। इस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय करौली आने के लिये कहा गया तो उसने करौली आने में मजबूरी होना बताया। जिस पर परिवादी को मालसपुर से पहले ही रोड पर मिलने की हिदायत देकर श्री अजय कुमार एएसआई मय श्री बृजेश कुमार कानि0, श्री कपिल सिंह कानि0 को मय वाहन सरकारी के जन-जागरूकता अभियान कार्यवाही को बीच में ड्रोप कर समय करीब 02.08 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय करौली पहुंचा एवं कार्यालय से वाईस रिकार्डर पैन्ड्राईव नुमा बरंग सफेद एवं नया खाली एसडी कार्ड 32 जीबी सैनडिस्क एवं लेपटोप आदि सामान सहित लेते हुये समय करीब 02.15 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय करौली से जरिये सरकारी वाहन मय जाप्ता रवाना होकर परिवादी से सम्पर्क करता हुआ समय करीब 02.45 पीएम पर कस्वा मासलपुर से पहले एचपी पम्प के पास रोड पर पहुंचा एवं रोड के बाई साईड में सरकारी वाहन को खडा करवाया जहां पर समय करीब 03.00 पीएम पर एक व्यक्ति मोटर साईकिल से सरकारी गाडी के पास आया जिसने पूछने पर अपना नाम जितेन्द्र सिंह होना एवं स्वयं के द्वारा ही टोल-फ्री नं.-1064 पर शिकायत करना बताते हुये पटवारी श्री रामसहाय पटवारी हल्का कंचनपुर डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाने हेतु लिखित रिपोर्ट मय जिला कलक्टर करौली व एसडीएम करौली को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2024 की फोटो प्रतियां एवं अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति के श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली के नाम संबोधित की हुई पेश की। चॅूकि चौकी पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पद रिक्त होने एवं चार्ज मन पुलिस निरीक्षक के पास होने तथा मेरे गले की गांठ के ऑपरेशन कराने के कारण अवकाश पर गया हुआ होने से मुझे लिखित रिपोर्ट

बाबत जरिये दूरभाष अवगत कराया जाकर मेरे निर्देश पर परिवादी की लिखित रिपोर्ट का अजय कुमार एएसआई द्वारा अवलोकन कर रिपोर्ट में अंकित तथ्यों बाबत परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का कक्षा 8वी तक पढालिखा होना एवं लिखना पढना एवं हस्ताक्षर करना जानना तथा रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित होना व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया, तथा बताया कि मेरी रामसहाय पटवारी से कोई किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है और न ही कोई किसी प्रकार के रूपये का लेन-देन बकाया है। मै यह कार्यवाही किसी राजनैतिक कारणों से या किसी के कहने आदि पर नहीं बल्कि स्वयं की स्वेच्छा से रामसहाय पटवारी द्वारा सरकारी काम को करने में रिश्वत मांगे जाने पर करा रहा हूं। परिवादी की लिखित रिपोर्ट, एवं उससे की गई पूछताछ आदि से मामला रिश्वत राशि की मांग होना पाया जाने से मेरे निर्देशानुसार समय करीब 03.14 पीएम पर रिश्वत राशि की मांग के गोपनीय सत्यापन के सम्बन्ध में आरोपी रामसहाय पटवारी से परिवादी की वार्ता हेतु साथ में लाये हुये वाईस रिकार्डर पैन्ड्राईव नुमा रंग सफेद को चैक कर परिवादी एवं कपिल सिंह कानि0 नम्बर 168 को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाकर उक्त वॉईस रिकार्डर में नया एसडी कार्ड 32 जीबी सैनडिस्क कम्पनी का डालकर खाली होना सुनिश्चित कर कानि0 कपिल सिंह को जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर उसे परिवादी के हमराह गन्तव्य स्थान पर पहुंचकर आरोपी पटवारी रामसहाय से परिवादी की वार्ता हेतु वाईस रिकार्डर को चालू करके स्वयं की आवाज से टैस्टिंग कर चालू हालत में परिवादी को सुपुर्द करने तथा परिवादी से बाद वार्ता वाईस रिकार्डर को लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखे छेड-छाड नहीं करने तथा वापस आकर मांगने पर उसी हालत में पेश करने की हिदायत देकर परिवादी जितेन्द्र सिंह को कानि0 कपिल सिंह के हमराह रिश्वत राशि की मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु मय वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित परिवादी द्वारा लाई हुई मोटर साईकिल से आरोपी रामसहाय पटवारी के पास उसके मासलपुर स्थित कमरे के लिये रवाना किया गया तथा अजय कुमार एएसआई मय शेष जाप्ता के सरकारी वाहन को एक साईड खडा करवाकर वाहन में ही मुकीम रहा। इसके बाद समय 03.45 पीएम पर परिवादी जितेन्द्र सिंह व श्री कपिल सिंह कानि0 168 मोटरसाईकिल से वापस आये तथा गाडी के अन्दर ही बैठकर परिवादी ने बताया कि हम दोनो यहां से रवाना होकर के कस्वा मासलपुर में पटवारी रामसहाय के कमरे के पास पहुंचे रास्ते में ही कपिल जी ने वाईस रिकार्डर अपने पास से निकालकर चालू कर अपनी आवाज भरकर एवं मेरा नाम बुलाकर चालू हालत में मुझे दे दिया जिसको मैने अपने पास रख लिया था। पटवारी के कमरे से पहले ही कपिल जी मेरी मोटरसाईकिल से उतर कर खडे हो गये तथा मै अपनी मोटर साईकिल को पटवारी के कमरे के बाहर ही खडी करके उनके कमरे के अन्दर गया जहां पर पटवारी रामसहाय जी मिल गये जिनसे मैने अपने काम के बारे में बातचीत की तो पटवारी जी ने हमारी खेत में खडी हुई फसल को नष्ट नहीं करने एवं फसल को हमसे ही कटवाने के बदले में 50 हजार स्वयं के लिये एवं 50 हजार तहसीलदार साहब के लिये दोनो को मिलाकर कुल 1 लाख रूपये मांगे और मेरे निवेदन करने पर 30 हजार रू. पहले एवं बाकी के रूपये 9 तारीख तक लेने पर सहमत हुये और पैसे लेकर कल दिनांक 05.03.2024 को करौली में पैसे लेकर आने एवं फोन करने को कहा, मैने पटवारी से हुई सारी बातों को वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया, बातचीत करने के बाद पटवारी जी तहसील की तरफ चले गये और मै अपनी मोटरसाईकिल को लेकर वापस आया और वाईस रिकार्डर को कपिल जी को दे दिया जिसको इन्होने बन्द कर अपने पास रख लिया, उसके बाद मैने सारी बातें इन्हें बता दी। उक्त कथनों की ताईद कपिल कानि0 ने भी की। इसके बाद परिवादी द्वारा बताये गये कथनों के संबंध में अजय कुमार एएसआई द्वारा मन पुलिस निरीक्षक जरिये फोन अवगत कराया जाकर मेरे निर्देशानुसार परिवादी के सामने कपिल सिंह कानि0 से सुपुर्द किया हुआ वाईस रिकार्डर एसडी कार्ड डले सहित जरिये फर्द वापस प्राप्त कर उसी हालत में सुरक्षित अपने पास रखते हुये मेरे निर्देशानुसार परिवादी को आरोपी पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि का इन्तजाम कर दिनांक 05.03.2024 को सुबह 09.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय करौली में उपस्थित होने की हिदायत देकर परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से कस्वा मासलपुर से ही रवाना कर अजय कुमार एएसआई मय जाप्ता के जरिये सरकारी वाहन कस्वा मासलपुर से समय करीब 04.25 पीएम पर रवाना होकर समय 05.00 पीएम पर वापस ब्यूरो कार्यालय करौली आया जहां पर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा वॉईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखा गया। इसके बाद दिनांक 05.03.2024 को समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह मोटर साईकिल से अपने भाई भूरी के हमराह ब्यूरो कार्यालय करौली उपस्थित आया एवं मोटर साईकिल को कार्यालय परिसर में खडी कर अपने भाई भूरी को मोटर साईकिल पर ही बैठा छोडकर अजय कुमार एएसआई के पास आकर बताया कि उस पर आरोपी पटवारी को दी जाने वाली राशि 30,000 रूपये का इन्तजाम न होकर सिर्फ 25000 रू. का ही इन्तजाम हो पाया है जो साथ लेकर आया हूं पटवारी उससे 25 हजार रूपये ही ले लेगा। इस पर परिवादी को कार्यालय के कमरे में बैठाया गया। इसके बाद समय 10.40 एएम पर मन पुलिस निरीक्षक स्वयं के गले की गांठ के ऑपरेशन हेतु अवकाश पर गया हुआ जैर ईलाजाधीन होते हुये अवकाश से उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उपस्थित चौकी करौली आया जहां पर श्री अजय कुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की लिखित रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 तथा उसके साथ पेश कागजात, मय कार्यवाही पुलिस, फर्दात तथा विभागीय वाईस रिकार्डर पैन्ड्राईव नुमा बरंग सफेद जिसमें दिनांक 04.03.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है मय परिवादी जितेन्द्र सिंह के अग्रिम कार्यवाही हेतु मुझे सुपुर्द किये गये। जिस पर मैने परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की लिखित रिपोर्ट दिनांक

04.03.2024 एवं अन्य कागजात, फर्दात आदि का अवलोकन किया तथा परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 के सम्बन्ध में परिवादी से पूछताछ की गई तो परिवादी ने स्वयं का कक्षा 8वी तक पढालिखा होना तथा लिखित रिपोर्ट स्वयं की हस्तलिखित व हस्ताक्षरित होना एवं लिखी हुई सभी बातें सही होना बताते हुये बताया कि मेरी दिनांक 04.03.2024 को पटवारी रामसहाय से कस्वा मासलपुर में उसके कमरे पर हमारी खेत में खडी हुई फसल को नष्ट नहीं करने और फसल को हमसे ही कटवाने के संबंध में वार्ता हो गई है। जिसमें पटवारी रामसहाय ने मेरे उक्त कार्य के बदले में 50 हजार रू. स्वयं के लिये एवं 50 हजार रू. तहसीलदार के नाम से कुल 1 लाख रूपये की मांग की है और मेरे निवेदन करने पर 30 हजार रू. पहले एवं बाकी के रूपये 9 तारीख तक लेने पर सहमत हुआ है, और उसने पैसे लेकर आज करौली में ही आने को एवं फोन कर स्थान बताने को कहा है जिसकी बातों को मेरे द्वारा आपके कार्यालय से दिये हुये टेप रिकार्डर में रिकार्ड कर लिया है तथा परिवादी ने बताया कि उस पर 30 हजार रू. का नहीं बल्कि 25 हजार रू. की राशि का ही इन्तजाम हो पाया है जो मै साथ लेकर आया हूं, पटवारी रामसहाय मुझसे 25 हजार रू. ही ले लेगा तथा बताया कि पटवारी बार-बार पैसे लेकर आने के लिये फोन कर रहा है और करौली में ही बुला रहा है। इसके बाद अजयकुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस द्वारा पूर्व में जरिये कानि0 कपिल सिंह परिवादी के सुपुर्द कर बाद मांग सत्यापन वापस प्राप्त शुदा वॉइस रिकार्डरपैन्ड्राईव नुमा को एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित हालत में पेश शुदा को परिवादी तथा अजयकुमार सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं कपिल सिंह कानि0 के सामने लैपटोप की मदद से चालू कर टेबल स्पीकरों के सहयोग से उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी के कथनों मुताबिक वार्ता रिकार्ड होना पाई गई, जिसकी ताईद परिवादी एवं उसके साथ गये कानि0 कपिल द्वारा पूछने पर की। रिकार्ड वार्ता से आरोपी पटवारी रामसहाय द्वारा परिवादी से उसके कार्य के बदले में रिश्वत मांग किये जाने की पृष्टि होना पाया गया तथा समय अभाव के कारण उक्त वार्ता का रूपान्तरण एवं पैनड्राईव डीबीडी कार्यवाही उपरान्त तैयार किया जाना उचित समझते हुये वॉईस रिकार्डर को एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित रखा जाकर श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नम्बर 70 को तहरीर सहित कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड करौली जरिये सरकारी मोटर साईकिल भेजकर दो स्वतंत्र गवाह श्री राजेश सैनी व श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक को तलब कर बुलाया जाकर उनसे नाम पते पूछकर दोनो से ट्रेप कार्यवाही मंे बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति प्राप्त की जाकर उनका उपस्थित परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा श्री रामसहाय पटवारी के विरूद्ध रिश्वत मांगने एवं रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडवाने बाबत पेश लिखित रिपोर्ट दिनांक 04.03.2024 को दिखाया व पढवाया गया जिसके बारे में गवाहान के द्वारा परिवादी से वार्ता की एवं रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की तथा रिपोर्ट को सही मानते हुये परिवादी की रिपोर्ट पर दोनो गवाहो ने अपने-अपने हस्ताक्षर दिनांक सहित अंकित किये। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह के सामने मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के कब्जे की कार्यालय की अलमारी से वाईस रिकार्डर पैनड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित जिसमें परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री रामसहाय पटवारी के मध्य दिनांक 04.03.2024 को रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड है को निकालकर उक्त वॉईस रिकार्डर को कार्यालय कम्प्यूटर की मदद से चालू कराकर उसमें रिकार्ड वार्ता को टेविल स्पीकरों की मदद से सुना व परिवादी एवं दोनो गवाहान को सुनाया गया जिसमें आरोपी श्री रामसहाय पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करने के लिये सहमत होने संबंधी वार्ताओं का रिकार्ड होना पाया गया तथा परिवादी के कथनानुसार आरोपी पटवारी रामसहाय परिवादी को पैसे लेकर आने के लिये बार-बार फोन किये जाने की स्थिति में समय अभाव के मध्यनजर उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का रूपान्तरण एवं पैनड्राईवडीबीडी कार्यवाही उपरान्त तैयार किया जाना उचित मानते हुये रिकार्ड वार्ता के वॉईस रिकार्डर पैन्ड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित सुरक्षित मन पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय आलमारी में रखा जाकर आलमारी को लौक किया गया। इसके बाद समय 12.40 पीएम पर दोनो गवाहान के सामने मन पुलिस निरीक्षक के मांगने पर परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह ने आरोपी रामसहाय पटवारी, को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 50 नोट कुल 25,000-रूपये अपने पास से निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनका विवरण फर्द पेशकशी एंव सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर पेश शुदा नोटों को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाकर मंगाया जाकर श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 25,000रूपये के उपरोक्त नोटो पर भली-भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक से लिवाई गई जिसमें उसके पास पहने हुये कपडों तथा मोबाईल फोन के अलावा कोई आपत्ति जनक वस्तु नही रहने दी गई। इसके बाद श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 25,000 -रूपये के नोटो को परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने बांयी जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को समझाईस की गई कि अब इन पाऊडर युक्त नोटों को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही निकालकर देवे तथा आरोपी उक्त नोटों को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ईशारा करे या मन पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिसकॉल करें। इसके बाद दोनों गवाहो को भी यथा सम्भव

परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन-देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का प्रयास करने की हिदासयत दी गई। इसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक से कार्यालय में से एक नये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त डिस्पोजल गिलास के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया जाकर उक्त गिलास के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया । इस प्रकार परिवादी एवं दोनो गवाह को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनोफ्थलीन पाउडर के डिब्बा को बंद करवाकर श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से वापस कार्यालय की आलमारी में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बा को ट्रेप बॉक्स में स्वतंत्र गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद श्री सतवीर सिंह कनिष्ठ सहायक से डिस्पोजल गिलास के धोवन को कार्यालय के अन्दर लैटबाथ में फिकवाया जाकर अखबार व डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा उसके दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों यथा कांच की खाली शीशीयां मय ढक्कन आदि को साबुन पानी से साफ करवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी तथा मन पुलिस निरीक्षक ने अपने-अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह को रिश्वत लेन-देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये दूसरा विभागीय वॉईस रिकॉर्डर पैनड्राईव नुमा को चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर नया खाली मैमोरी कार्ड लगाकर आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया जिसकी फर्द मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 01.50 पीएम पर दोनो गवाहान के सामने आरोपी रामसहाय पटवारी की उपस्थिति बाबत परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की उसके मोबाईल फोन नम्बर 9649289967 से आरोपी रामसहाय पटवारी से उसके मोबाईल नम्बर 7014521310 से परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन कर वार्ता कराई गई तो आरोपी पटवारी रामसहाय ने परिवादी को पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास करौली पर आने को कहा गया उक्त वार्ता को परिवादी द्वारा स्वयं के सुपुर्द शुदा वाईस रिकार्डर पैनड्राईव नुमा में डले हुये एसडी कार्ड में रिकार्ड किया गया। इसके बाद समय 02.05 पीएम पर कार्यालय स्टाफ को अपने कक्ष में बुलाकर सभी के हाथों को सावुन व पानी से साफ करवाये जाकर परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह को उसके द्वारा लाई हुई मोटर साईकिल से उसके भाई भूरी सहित आगे आगे रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0 नम्बर 277 को उसकी स्वयं की निजी मोटरसाईकिल से मय अजय कुमार एएसआई के एवं श्री बृजेश कुमार कानि0 461 को उसकी निजी मोटर साईकिल से मय स्वतंत्र गवाह श्री राजेश सैनी के एवं श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं. 70 को मय गवाह श्री पंकज शर्मा के सरकारी मोटर साईकिल से एवं श्री विष्णु सिंह कानि0 नम्बर-135, श्री समय सिंह हैड कानि0 45, व श्री कपिल सिंह कानि0 168 को पैदल-पैदल रवाना कर मन पुलिस निरीक्षक मय टेªप वोक्स एवं लेपटोप मय पिं्रटर आदि सामग्री के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो गाडी मय चालक बृजेश मीणा के लेकर एसीबी कार्यालय करौली से पुरानी आरटीओ ऑफिस मण्डरायल रोड करौली के लिये रवाना हुआ, तथा कार्यालय में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सतबीर सिंह कनिष्ठ सहायक को बाद हिदायत छोडा गया। समय 0210 पीएमः- पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के रवाना शुदा पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास मण्डरायल रोड करौली पहुंचा जहां पर परिवादी जितेन्द्र सिंह व उसका भाई भूरी मोटर साईकिल सहित समय सिंह आयरन वर्क्स की दुकान के सामने स्थित चाय के खोखे के पास एवं गवाह श्री पंकज शर्मा व श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 70 मोटर साईकिल सहित एवं श्री अजय कुमार एएसआई व श्री गोपेन्द्र सिंह कानि0 277, मोटर साईकिल सहित एवं श्री बृजेश कुमार कानि0 461 मय गवाह श्री राजेश सैनी के मोटर साईकिल सहित एवं श्री समय सिंह हैड कानि0 45, श्री कपिल सिंह कानि0 168 व श्री विष्णु सिंह कानि0 135 आपस में एवं परिवादी से दूरी बनाये हुये रोड के दाहिने एवं बांये तरफ दुकानो के आस-पास खडे मिले, मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सरकारी वाहन को पुरानी आरटीआंे ऑफिस मण्डरायल रोड करौली पर परिवादी व स्टाफ सदस्यों से सम्पर्क रखते हुये खडा करवाकर परिवादी के अगले ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुआ। कुछ समय के बाद समय सिंह आयरन वर्क्स की दुकान के सामने रोड पर हीरो स्पलेंडर प्लस मोटर साईकिल पर एक व्यक्ति हेलमेट लगाये सवार होकर आया और उक्त दुकान के पास मोटर साईकिल रोककर खडा हो गया जिसको देखकर परिवादी जितेन्द्र सिंह चाय के खोखे से चलकर उस मोटर साईकिल सवार व्यक्ति के पास चला गया जहां पर परिवादी और वह व्यक्ति आपस में बातचीत करने लगे तथा बातचीत करते करते परिवादी ने अपने पास से रूपये निकालकर मोटर साईकिल पर सवार व्यक्ति को दिए जो उस व्यक्ति ने अपने बांये हाथ में लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई पेंट की बांयी साईड की पीछे वाली जेब में रख लिए और आपस में बातें करने लगे गये। इसके बाद समय 02.17 पीएम पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह ने मण्डरायल रोड करौली स्थित समय सिंह आयरन वर्क्स के सामने से खडे-खडे ही अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर ट्रेप का निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रैप पार्टी सदस्यों को साथ लेकर तुरन्त ही परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह के पास पहुँचा तथा परिवादी से वाईस रिकार्डर पैन्ड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा

गया, तत्पश्चात् परिवादी जितेन्द्र सिंह ने अपने पास हीरो स्पलंेडर प्लस मोटर साईकिल नं. आरजे 34 एसएफ-1688 बरंग काला पर हैलमेट लगाये बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही श्री रामसहाय पटवारी जी है जिन्होने अभी मुझसे 25000 रूपये रिश्वत के मांग कर प्राप्त कर अपने बांये हाथ में लेकर दोनो हाथों से गिनकर अपने पहने हुए जींस पेंट की पीछे की बांयी साईड की जेब मे रख लिए है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को अपना व हमराही का परिचय देकर उससे उसका परिचय पूछा तो वह व्यक्ति मोटरसाईकिल को स्टार्ट कर उस पर भागने की कोशिश करने लगा जिस पर मन पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार जाप्ता द्वारा उक्त व्यक्ति को भागने से रोककर उसको मोटर साईकिल से उतारकर उसका दाहिना हाथ श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नम्बर 70 से एवं बांया हाथ श्री समय सिंह हैड कानि0 45 से कलाईयों के उपर से पकडवाया जाकर उसका हैलमेट उतरवाकर उससे उसका नाम पता पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम रामसहाय कुशवाह पुत्र श्री लुट्टेराम कुशवाह जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मैगरी पोस्ट -फतेहपुर पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली होना बताया। इसी बीच मौके पर दुकानदारो व राहगीरों की भीड जमा हो गई जो कार्यवाही मे व्यवधान उत्पन्न होने के मध्यनजर आरोपी को हाथ पकडी हुई अवस्था में सरकारी वाहन मंे बिठाकर उसकी मोटर साईकिल व हेलमेट को हमराह साथ लेकर घटना स्थल से मय जाप्ता मय परिवादी व उसके भाई सहित गये हुये वाहनों से समय 02.22 पीएम पर रवाना होकर समय करीब 02.25 पीएम पर ब्यूरो ईकाई करौली पर उपस्थित आया व आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी को हाथ पकडी हुई दशा मे कार्यालय मे बच पर बैठाया जाकर उससे परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह से वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 04.03.2024 को 01 लाख रू. की रिश्वत राशि की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 05.03.2024 को प्राप्त की गई 25 हजार रूपये की रिश्वत राशि के बारे में पूछा गया तो श्री रामसहाय पटवारी ने बताया कि-दिनांक 28.02.2024 को इस जितेन्द्र सिंह ने मुझे फोन कर कहा था कि पटवारी जी आप हमारी फसल को नष्ट करवा रहे हो तो मैने कहा कि मेरे पास इतनी पॉवर नहीं है कि मै आपकी फसल को नष्ट करवा सकू ? उसके बाद इस जितेेन्द्र ने मुझसे कहा कि जमीन के मामले सभी पटवाररियों के हाथों में होते है इसलिये आप हमारी फसल को नष्ट करवा रहे हो, तो मैने इससे कहा कि कलक्टर साहब व तहसीलदार साहब के आदेश है मुझे तो मौके पर रिकॉर्ड लेकर उपस्थित होना है, उसी दिन सुवह के करीब 11बजे मै तहसीलदार साहब व गिरदावर साहब व पुलिस जाप्ता सहित ग्राम डांडा के खसरा नम्बर 1520 के मौके पर उपस्थित हुये थे, मौके पर तहसीलदार साहब ने व एसएचओ मासलपुर ने दोनो पक्षों को समझाया था कि लडाई में कुछ नहीं रखा है, आप आपस के मेटर को आपस में ही निवटा लो, इतना समझाने के बाद दोनो पक्ष नहीं माने तो तहसीलदार साहब ने कलक्टर साहब से फोन पर वार्तालाप अनुसार खडी हुई सरसों की फसल को नष्ट करने के बजाय फसल को राजकीय कब्जे मे लेकर नीलामी कराने के लिये कहा था, तहसीलदार साहब ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू की किन्तु आपसी विवाद होने के कारण किसी ने भी नीलामी बोली में भाग नहीं लिया था, और हम सभी वापस मासलपुर तहसील आ गये थे। उसके दो दिन बाद इस जितेन्द्र सिंह ने मुझे फोन कर कहा था कि पैसे कितने भी लग जायें पर मेरी फसल नष्ट नहीं होनी चाहिऐ, तो मैने इससे कहा था कि मेरा स्थानान्तरण पटवार हल्का मासलपुर में हो गया है, आपको जो भी बात करनी है आने वाले पटवारी जितेन्द्र सिंह गुर्जर खुडा वाले से करना, तो इस जितेन्द्र ने कहा कि आप मेरी कुछ तो मदद करो तो मैने इससे कहा कि एसीएम करौली कोर्ट से रिकॉर्ड में मौके की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन ले लो मुझसे जो मदद बनेगी मै कर दूंगा। मैने इस जितेन्द्र सिंह से इसकी फसल को नष्ट नहीं करने एवं खडी फसल को कटवाने के सम्बन्ध में कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है, कल दिनांक 04.03.2024 को यह जितेन्द्र सिंह मेरे पास मासलपुर में आया था और मुझसे बोला कि मै तहसीलदार जी को 50 हजार रू. एवं आपको 30 हजार रूपये मेरी इच्छा से दे दूंगा, मेरे द्वारा इससे कोई रिश्वत नहीं मांगी थी और आज भी सुवह इसके द्वारा मुझे फोन कर कहा था कि मेरे दूध के पैसे आयेंगे मै आपको मेरी खुशी से पैसे दे दूंगा परन्तु फसल नष्ट नहीं होनी चाहिऐ। इस प्रकरण में पैसे से सम्बन्धित जो भी बातें हुई है वह सारी जितेन्द्र सिंह के द्वारा की गई है मैरे द्वारा इस जितेन्द्र सिंह से व इसके किसी भी परिवार के सदस्य से कोई भी रिश्वत राशि की मांग नहीं की गई है, आज जो इसने 25 हजार रू. दिये है वह इसके द्वारा मेरे मना करने के बाद भी मिठाई के रूप में दिये गये है। मेरे पास इसका व पटवार मण्डल डांडा के किसी भी राजस्व गांव का कोई भी कार्य लम्बित नहीं है। इसके द्वारा मुझे पैसे देकर गलत फसाया गया है। मै निर्दोष हूं। इसके बाद उपस्थित परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह से पटवारी रामसहाय द्वारा बताये गये उक्त कथनों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो परिवादी ने रामसहाय पटवारी के कथनों का झूंठा होना बताते हुये बताया कि- ग्राम डांडा गाजीपुर के खसरा नम्बर 1520 की पुस्तैनी कृषि भूमि जो मेरे पिता रामजीलाल पुत्र कलुआराम के नाम थी, उसको गांव के चौथी पुत्र रघुनाथ के द्वारा मेरे पिता के नाबालिग होने का फायदा उठाकर सरकारी खाते में जमीन को अपने नाम चढ़वा लिया। जबकि इस जमीन पर हमारा कब्जा चला आ रहा है एवं उस जमीन पर हम ही पैदावार करते आ रहे है, वर्तमान में उस जमीन में सरसो की फसल खड़ी हुई है। इस जमीन का मामला ए.सी.एम. करौली के न्यायालय में चल रहा है। तहसीलदार साहब और ये पटवारी जी हमारी जमीन पर खड़ी हुई फसल को हमे बिना नोटिस दिये दूसरी पार्टी से मिलकर नष्ट करना चाह रहे थे, जिसके सम्बन्ध में मै इन पटवारी जी से मिला तो इन्होने खड़ी फसल को नष्ट नही करने और फसल हमारे से ही कटवाने के बदले में 1,00,000 रूपये रिश्वत के मांगे और बार-बार फोन कर मुझे रूपये देने के लिए मासलपुर में

अपने कमरे पर बुला रहे थे। मै इनको रिश्वत नहीं देना चाहता था और इन्हे पकडवाना चाहता था, इस पर दिनांक 04.03.2024 को मैने आपके विभाग में शिकायत की थी। जिस पर कार्यालय द्वारा मुझे अपने एक कानिस्टेबल को मय वॉईस रिकार्डर के इन रामसहाय पटवारी जी से रिश्वत की मॉग के संबंध मे बात करने के लिए मासलपुर में इनके कमरे पर भेजा था, जहां पर मैने इनसे अपने काम के बारे में बातचीत की तो इन्होने हमारी खेत में खडी हुई फसल सरसों को नष्ट नहीं करने एवं फसल को हमसे ही कटवाने के बदले में 50 हजार स्वयं के लिये एवं 50 हजार तहसीलदार साहब के लिये दोनो को मिलाकर कुल 1 लाख रूपये रिश्वत में मांगे और मेरे निवेदन करने पर 30 हजार रू. पहले एवं बाकी के रूपये 9 तारीख तक लेने पर सहमत हो गये और आज दिनांक 05.03.2024 को इन्होने मुझे फोन कर करौली में पैसे लेकर आने को कहा और आज बार बार फोन किये एवं मेरे द्वारा वापस फोन करने पर इन्होने मुझे पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास मण्डरायल रोड करौली पर बुलाया तो मैने इनके बताये हुये स्थान पर पहुंचकर समय सिंह आयरन वर्क्स की दुकान के पास से मैने इन्हें फोन किया तो कुछ समय के बाद ये पटवारी जी अपनी हीरो स्पलेंडर मोटर साईकिल से हेलमेट लगाये हुये मेरे पास आये और मोटरसाईकिल पर बैठे-बैठे ही इन्होने अपनी पूर्व की मॉग अनुसार 25000 रूप्ये मेरे से अपने बांये हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की बायी साईड की पीछे की जेब के अन्दर रख लिये और रूपये लेने के बाद मेरे द्वारा आपको ईशारा कर दिया जिस पर आपके द्वारा इनको पकड लिया। इसके बाद आरोपी रामसहाय पटवारी से पुनः परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो रामसहाय पटवारी द्वारा अपने पूर्व के कथनो के अलावा अन्य कोई नई बात नही बताई। तत्पश्चात् बृजेश कुमार कानि0 461 से पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल के दो साफ गिलासों को ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर उनमें ऑफिस कार्यालय मे लगे वाटर कूलर से साफ पानी भरवाकर उनमें गवाह श्री राजेश सैनी कनिष्ठ सहायक से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे संबंधितो को दिखाया तो सभी ने गिलासो के घोल का रंग साफ सफेद होना स्वीकार किया। इसके बाद एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी के दाहिने हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का मामूली गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का मामूली गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क- RH1, RH2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उसके बाद दूसरे पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल मे आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी के बांये हाथ की अगुलियो व अगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे संबंधितो ने देखकर धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो साफ कॉच की शीशियों मे आधा आधा भरवाकर शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क LH1, LH2 अंकित कर चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी को परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह से प्राप्त की गई 25000रूपये की रिश्वत राशि को पेश करने के लिए कहा तो उसने उक्त राशि अपनी पहनी हुई जींस पैन्ट बरंग नीला की बांयी साईड की पीछे की जेब में रखी होना बताया, जिस पर गवाह श्री पंकज शर्मा कनिष्ठ सहायक से आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी के बदन पर पहनी हुई जींस पेंट बरंग नीला की बांयी साईड की पीछे वाली जेब की तलाशी लिवाई गई तो उक्त जेब के अंदर से 500-500 रूपये के नोटो की मुडी हुई गडडी मिली जिसको जेब से बाहर निकलवाकर उक्त गवाह से उक्त राशि को गिनवाया गया तो पॉच पॉच सौ रूप्ये के 50 नोट कुल 25000 रूपये पच्चीस हजार रूपये मिले, उक्त बरामद शुदा 25000 रूप्ये के नोटो के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व मे तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट मे अंकित नोटो के नम्बरों से करवाया गया तो नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। बरामद शुदा 25000-रूपये रिश्वत राशि नोटो के नम्बरो का विवरण फर्द बरमादगी में अंकित करवाकर बरामद शुदा नम्बरी नोटों को एक सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील चिट मोहर कर कागज की चिट पर दोनों गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी के बदन पर पहनी हुई जींस पेंट बरंग नीला को ससम्मन बदन से उतरवाया जाकर परिजनों द्वारा लाई गई दूसरी जींस पेंट को पहनवाया गया, तथा उतारी हुई जींस पेंट की बांयी साईड की पीछे वाली जेब के अतिरिक्त अन्य जेबो की तलाशी गवाह से लिवाई गई जिसमें कोई शः बरामद नहीं हुई तत्पश्चात पूर्व की भांति एक अन्य पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को कानि0 बृजेश कुमार से ट्रेप बॉक्स से निकलवाकर साफ पानी से साफ करवाया जाकर उसमें कार्यालय में लगे हुये वाटर कूलर में से साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें गवाह श्री राजेश सैनी कनिष्ठ सहायक से उसके दोनो हाथ सावुन व पानी से साफ कराने के बाद थोडा सा सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सम्बन्धितों ने देखकर घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी के बदन से उतरवाये हुये जींस पेंट बरंग नीला को उक्त गवाह से डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्भ्निधतों ने देखकर धोवन का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया, उक्त धोवन को दो साफ कांच की शीशीयों में आधा आधा डलवाकर

शीशीयों को सील चिट मोहर कर मार्क JP1 व JP2 अंकित कर चिट व कपडे पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर कराकर कब्जा एसीबी लिया गया, तथा काम में लिये गये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात उक्त जींस पेंट की धुलाई हुई बांयी साईड की पीछे की जेब को सुखवाकर उस पर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर जींस पेंट बरंग नीला को एक सफेद कपडे की थैली में सील मोहर कर कपडे की थेली पर मार्क JP अंकित कर थैली के उपर गवाहान, परिवादी व आरोपी के हस्ताक्षर करवाये जाकर बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु उपयोग में ली गई हीरो स्पलेंडर मोटरसाईकिल नं. आरजे 34 एसएफ-1688 बरंग काला मय हैल्मेट को मय चाबी जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जाकर सुपुर्दगी नामें पर सुपुर्द किया जावेगा। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी जितेन्द्र सिंह से प्राप्त कार्यालय के वाईस रिकॉडर पैन्ड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में चालू कर सुना गया तो वाईस रिकॉडर में रिश्वत लेन-देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई, इसके बाद आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी से परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की फसल व खेत से सम्बन्धित रिकार्ड रिपोर्ट आदि के बारे में पूछा गया तो रामसहाय कुशवाह पटवारी ने परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की फसल खेत से सम्बन्धित पूर्व में उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार मांगी गई मौका रिपोर्ट आदि स्वयं के बैग में रखी होकर बैग स्वयं के बहनोई श्री पप्पू माली निवासी आरटीओ ऑफिस के पीछे करौली के यहां पर रखा होना बताया, जिस पर आरोपी द्वारा अपने दोस्त श्री चैनकुमार सैनी को फोन कर अपने बहनोई के घर से मंगवाकर पेश किया, इसके बाद परिवादी जितेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी से पूछा गया कि आपकी कोई आपसी रंजिश या दुश्मनी या कोई रूपये पैसे का लेन-देन तो बकाया नही है, इस पर दोनो ने ही अपनी अपनी स्वेच्छा से इन्कार किया। इस कार्यवाही की फर्द मुर्तिब की जाकर नमूना सील नं. 29 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गयें। इसके बाद समय 04.55 पीएम पर तहसीलदार मासलपुर जिला करौली को आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी, पटवार हल्का डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली का सेवा विवरण प्रोफार्मा में भिजवाये जाने एवं आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी का पटवार हल्का डांडा से स्थानान्तरण होने बाबत आदेश एवं पटवार हल्का डांडा का चार्ज दिये जाने अथवा नहीं दिये जाने संबंधी सूचना उपलब्ध कराने बाबत पृथक से पत्र क्रमांक 21405.03.2024 जारी कर जरिये व्हाटसएप प्रस्तुत किया गया एवं तहसीलदार मासलपुर को वास्ते पूछताछ कार्यालय में हाजिर होने हेतु जरिये दूरभाष पाबन्द किया गया। इसके बाद समय 05.10 पीएम पर कार्यालय मे आरोपी को मुलाजमानों की निगरानी में छोडा जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह एवं जाप्ता श्री सुमेर सिंह हैड कानि0 नं. 70 के जरिये सरकारी वाहन मय चालक बृजेश मीणा के घटनास्थल समय सिंह आयरन वर्क्स मडरायल रोड करौली का नक्शा मौका तैयार करने हेतु रवाना होकर समय 05.15 पीए पर आयरन वर्क्स मण्डरायल रोड करौली पहुचा जहा पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के सामने व परिवादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के घटनास्थल से समय 06.05 पीएम पर रवाना होकर समय 06.10 पीएम पर वापिस एसीबी कार्यालय करौली आया। इसके बाद समय 06.15 पीएमः पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की मौजूदगी में आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधन 2018 मे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, वक्त गिरफ्तारी जामा तलाशी में आरोपी के पास एक मोबाईल फोन मेक OPPO F11 PRO बरंग आसमानी डबल सिम एवं एक काला पर्स जिसमें 550 रूपये एवं एक स्वयं का ड्राईविंग लाईसेंस,आधार कार्ड एवं पैनकार्ड एवं पांच पासपोर्ट साईज के स्वयं आरोपी के फोटो ग्राफ मिले, आरोपी की जामा तलाशी में मिले 550रूपये को सन्तोषजनक जवाब देने के कारण उक्त राशि मय पर्स, आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस तथा मोबाईल फोन सिमों सहित एवं पांच फोटोग्राफ को कार्यालय में उपस्थित आये आरोपी के दोस्त श्री चैनकुमार सैनी को आरोपी के कहे अनुसार वापिस लौटाये गये तथा आरोपी के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट साईज की फोटो पत्रावली पर रखी गई। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार उसके दोस्त चैनकुमार सैनी को एवं आरोपी के परिजनों को दी गई। इसके बाद समय 07.10 पीएम पर गिरफ्तार शुदा आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी को एवं ट्रेप बौक्स मय बजह सबूत को मुलाजमानों की निगरानी में कार्यालय में ही छोडकर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं कार्यालय स्टाफ सदस्य श्री सुमेर सिंह हैडकानि0 नं.-70 व श्री बृजेश कुमार कानि0 461 के मय सरकारी लेपटोप मय पिं्रटर आदि सामग्री के आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी के गांव मेंगरी तहसील मासलपुर जिला करौली स्थित मकान की खाना तलाशी हेतु जरिये सरकारी वाहन मय चालक श्री बृजेश मीणा के एसीबी कार्यालय करौली से रवाना होकर समय 08.00 पीएम पर आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी के गांव मेंगरी स्थित मकान पर पहुंच पटवारी के भाई रामगोपाल एवं आरोपी की पत्नी श्रीमती रीना की उपस्थिति में मकान की नियमानुसार जरिये फर्द खाना तलाशी ली जाकर मन पुलिस निरीक्षक मय गवाहान, जाप्ता के जरिये सरकारी वाहन समय 09.45 पीएम पर रवाना होकर समय 10.30 पीएम पर वापस एसीबी कार्यालय करौली आया जहां पर समय 10.50 पीएम पर आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह द्वारा परिवादी जितेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु काम में ली गई हीरो स्पलेंडर प्लस मोटरसाईकिल नम्बर- आरजे 34 एसएफ-1688 बरंग काला को मय चाबी एवं हेलमेट के प्रकरण में वांछित होने के कारण

पृथक से जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। इसके बाद गिरफतार शुदा आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी को खाना खिलाकर जिला चिकित्सालय करौली भेजकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना कोतवाली करौली में बन्द हवालात कराकर सुरक्षित रखा गया तथा आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी की हीरो स्पलेंडर प्लस मोटरसाईकिल को प्रकरण मे आवश्यकता नही होने से उसकी सहमति अनुसार उसके दोस्त श्री चैनकुमार सैनी को समय 11.40 पीएम पर जरिये सुपुर्दगी नामा दुरूस्त हालात मे मय चाबी एवं हेलमेट के सुपुर्द किया गया। इसके बाद दिनांक 06.03.2024 को समय 12.30 ए.एम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के रिकार्ड शुदा वाईस रिकार्डर पैनड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 04.03.2024 को आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी की परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह से हुई रूवरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है,को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की मौजूदगी में कार्यालय आलमारी से निकालकर उसे लेपटॉप TOSHIBA कम्पनी से कनेक्ट कर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 24 मिनट 59 सैकेण्ड को लेपटॉप से कनैक्ट कराकर टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री बृजेश कुमार कानि0 461 से उक्त रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से एक नये खाली पैनड्राईव SANDISK 32 GB मार्क- A.1 एवं एक मुलजिम प्रति DVD SONY कम्पनी मार्क A.2 एवं एक आई.ओ. प्रति DVD SONY कम्पनी मार्क ं.3 डब करवाई जाकर एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति DVD मार्क A.3 के अलावा न्यायालय प्रति पैनड्राईव SANDISK 32 GB मार्क A.1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क A.2 को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड SANDISK 32 GB micro SD को वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क A अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क- A अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति DVD मार्क A.3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं डब पैनड्राईव की लेपटोप की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 04.00 एएम पर परिवादी से प्राप्त शुदा वाईस रिकार्डर पैनड्राईव नुमा एसडी कार्ड डले सहित जिसमें दिनांक 05.03.2024 को आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी की परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह से रिश्वत लेन-देन से पूर्व हुई मोबाईल वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन-देन हुई रूवरू वार्ता रिकार्ड है, को स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह की मौजुदगी में लेपटॉप TOSHIBA कम्पनी से कनेक्ट कर उसमें रिकार्ड मोबाईल वार्ता 57 सैकेण्ड एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता 11 मिनट 03 सैकेण्ड को लेपटॉप से कनैक्ट कराकर टेबल स्पीकर के सहयोग से सुना एवं सुनाया जाकर रिकार्ड वार्तालाप की फर्द ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर हिन्दी रूपान्तरण तैयार करवाया गया तथा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री बृजेश कुमार कानि0 461 से उक्त रिकार्ड मोबाईल एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता की लेपटॉप की सहायता से एक खाली पैनड्राईव SANDISK 32 GB न्यायालय प्रति मार्क B.1 एवं मुलजिम प्रति DVD SONY कम्पनी मार्क B.2 एवं एक आई.ओ. प्रति DVD SONY कम्पनी मार्क B.3 डब करवाई जाकर एसडी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का मिलान करवाकर उक्त पैनड्राईव व डीवीडीयों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कपड़े की थैली में रखा जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. प्रति DVD मार्क B.3 के अलावा पैनड्राईव SANDISK 32 GB न्यायालय प्रति मार्क B.1 एवं मुलजिम प्रति डीवीडी मार्क B.2 को कपडे की थैली में शील्ड मोहर किया गया तथा मूल एसडी कार्ड SANDISK 32 GB MICRO SD को वॉईस रिकार्डर से बाहर निकालकर मार्क B अंकित कर कवर में सुरक्षित रखकर कपड़े की थैली में रखा जाकर थैली के उपर मार्क- B अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शील्ड मोहर किया गया। आई.ओ. प्रति DVD मार्क B-3 को पत्रावली पर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। वाईस रिकार्डर मय एसडी कार्ड एवं डब पैनड्राईव की लेपटोप की मदद से ACCESS DATA FTK IMAGER से हैज वैल्यू निकाली जाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके बाद समय 06.00 एएमः-पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 29 को परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया किया जाकर नष्ट शुदा शील को एक कपड़े की थैली में रखवाकर सम्बन्धित हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क NS 29 अंिकत किया जाकर शील्ड मोहर किया गया। फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद ट्रेप कार्यवाही में जप्त सील्ड माल वजह सबूत को एचएम मालखाना श्री सुमेर सिंह को सुरक्षित हालत में सम्भलाकर जमा मालखाना कराया गया। इसके बाद हस्व तलब शुदा श्री विनोद कुमार शर्मा तहसीलदार मासलपुर जिला करौली उपस्थित कार्यालय आया एवं आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी का प्रोफार्माअनुसार सेवा विवरण एवं रामसहाय पटवारी के पटवार हल्का डांडा से पटवार मण्डल मासलपुर स्थानान्तरण होने संबंधी आदेश क्रमांक 731 22.02.2024 की फोटोप्रति एवं पटवार हल्का डांडा का चार्ज नहीं दिये जाने बाबत सूचना सहित अपने पत्र क्रमांक 411 05.03.2024 से पेश की एवं साथ में आराजी खसरा नम्बर 1520 वाके ग्राम गाजीपुर डांडा की जमाबन्दी ऑनलाईन निकाली हुई अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित कर पेश की उक्त दस्तावेजों को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद पुलिस थाना कोतवाली करौली में सुरक्षा की दृष्टि से बन्द हवालात गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी को जरिये जाप्ता पुलिस

थाना कोतवाली से बुलाया कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में चाय नास्ता कराकर सुरक्षित रखा गया, तथा कार्यालय में उपस्थित आये हुये श्री बिनोद कुमार शर्मा तहसीलदार मासलपुर जिला करौली से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट मुर्तिव कर पढाकर हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान के सामने एवं परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह एवं तहसीलदार श्री विनोद कुमार शर्मा की मौजूदगी में आरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी द्वारा अपने दोस्त श्री चैनकुमार सैनी के जरिये अपने बहनोई पप्पू माली के पुरानी आरटीओ ऑफिस मण्डरायल रोड करौली स्थित घर से मंगवाये हुये स्वयं के बैग में से परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज निकालकर पेश किये जिनका विवरण फर्द में अंकित कराया जाकर उनकी फोटो प्रतियां कराई जाकर उन्हें तहसीलदार से प्रमाणित कराकर वास्ते बजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया एवं पेश दस्तावेजों को सुरक्षित तहसीलदार श्री बिनोद कुमार शर्मा को बाद हिदायत सुपुर्द किया गया, तथा कार्यालय में उपस्थित आये हुये श्री विनोद कुमार शर्मा तहसीलदार मासलपुर जिला करौली से मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछा कि क्या आप श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी की आवाज को पहचानते हो तो बताया कि मै उसकी आवाज को पहचानता हूं क्योंकि ये हमारे पास कार्यरत रहा है। इस लिये मै इसकी आवाज को पहचानता हूं। इस पर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही से सम्बन्धित रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 04.03.2024 व दिनांक 05.03.2024 को रिश्वत लेन-देन से पूर्व हुई मोबाईल वार्ता एवं रिश्वत लेन-देन वार्ता की आईओ डीबीडीयां मार्क A 3, B3 को लेपटोप की मदद से चलाकर उनमें रिकार्ड वार्ताओं को टेबिल स्पीकरों के सहयोग से सुनाया गया तो श्री विनोद कुमार शर्मा तहसीलदार द्वारा रिकार्ड वार्ताओं को सुनकर उसमें एक आवाज श्री रामसहाय कुशवाह पटवारी की होने की पहचान की गई जिसकी फर्द आवाज पहचान आरोपी तैयार कर हस्ताक्षर कराये गये, इसके बाद आरोपी श्री रामसहाय पटवारी से पुनः पूछताछ की जाकर विस्तृत पूछताछ नोट तैयार कर पढाकर हस्ताक्षर कराये गये। इसके बाद मन पुलिस निरीक्षक द्वारा मय स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी रामसहाय कुशवाह पटवारी एवं श्री विनोद कुमार शर्मा तहसीलदार के हमराह जरिये सरकारी वाहन ग्राम गांजीपुर डांडा तहसील मासलपुर पहुंचकर विवादित आराजी का मौका मुआयना किया गया तो मौके पर उक्त आराजी में 08 बीघा परिवादी पक्ष की कब्जा काश्त भूमि में फसल सरसों खडी हुई होना पाया गया जिसकी वीडियो ग्राफी करवाई गई एवं फर्द मुर्तिव की गई एवं तहसीलदार मासलपुर को उक्त विवादित आराजी की वस्तुस्थिति संबंधी मौका रिपोर्ट से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। ताबाद वापस कार्यालय आया जहां से परिवादी जितेन्द्र सिंह, दोनो स्वतंत्र गवाह एवं तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा को कार्यालय से रूखसत किया गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्त रामसहाय कुशवाह पटवारी को खाना खिलाकर कार्यालय में मुलाजमानों की निगरानी में रखा गया जिसे अकब से वास्ते जेसी माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा। अब तक सम्पन्न की गई समस्त ट्रेप कार्यवाही से आरोपी रामसहाय कुशवाह पुत्र श्री लुट्टेराम कुशवाह जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मैगरी पोस्ट -फतेहपुर पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीका अपनाकर परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल, उम्र 28 वर्ष, जाति गुर्जर गांव गाजीपुर डांडा तहसील व पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली से ग्राम गाजीपुर डांडा स्थित विवादित आराजी खसरा नम्बर-1520 की परिवादी के पिता श्री रामजीलाल की कब्जा काश्त कृषि भूमि में खडी हुई फसल सरसों को नष्ट नहीं करने एवं उक्त फसल सरसों को परिवादीपक्ष को ही कटवाने की एबज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 04.03.2024 को 50 हजार रूपये स्वयं के लिये एवं 50 हजार रू. तहसीलदार के नाम से कुल 1 लाख रूपये स्वयं के लिये ही बतौर रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी के निवेदन पर 30 हजार रूपये पहले एवं शेष राशि बाद में लेने हेतु सहमत होकर अपनी उक्त मांग के अनुशरण में दिनंाक 05.03.2024 को परिवादी को पुरानी आरटीओ ऑफिस मण्डरायल रोड करौली पर बुलाकर समय सिंह आयरन वर्क्स की दुकान के पास परिवादी से 25 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये मय रिश्वत राशि रंगे हाथों गिरफतार किया जाना तथा रिश्वत राशि स्वयं की पहनी हुई जींस पेंट की बांयी साईड की पीछे वाली जेब से बरामद होना पाया गया है। अतः श्री रामसहाय कुशवाह पुत्र श्री लुट्टेराम कुशवाह जाति माली उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम मैगरी पोस्ट -फतेहपुर पुलिस थाना मासलपुर जिला करौली हाल पटवारी, पटवार हल्का डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों करौली ...कार्यवाही पुलिस....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधित 2018 में अरोपी श्री रामसहाय कुशवाह पुत्र श्री लुट्टेराम कुशवाह निवासी ग्राम मैगरी थाना मासलपुर करौली हाल पटवारी पटवार हल्का डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 40 /2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह पुलिस उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो धौलपुर को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता की गई। उक्त की रोजनामचाआम पर रपट 524 अंकित है। विशनाराम पुलिस अधीक्षक एसीबी जयपुर। क्रमांकः 191.194 दिनांक 06.03.24 प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है। 1 विशिष्ठ

न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भरतपुर। 2. जिला कलेक्टर करौली। 3. उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर । 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करौली । पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURENDRA SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 06/03/2024 20:16:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)